218

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, संभाग रीवा (म.प्र.)

Rs. 30/–

RS443-III/16

1. सूर्यभान तनय श्री रामसिया उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती
2. रामसहाय तनय श्री रामचरण गुप्ता उम्र 50 वर्ष पेशा खेती
3. दीनदयाल तनय श्री रामचरण गुप्ता उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
4. रामसजीवन तनय श्री रामचरण गुप्ता उम्र 40 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम सैरपुर तह0 बहरी जिला सीधी (म0प्र0)

—————————— निगरानीकर्तागण

बनाम

सोमदत्त गुप्ता तनय श्री जमुना प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम सैरपुर तह0 बहरी जिला सीधी (म0प्र0)

—————————— गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा, द्वारा प्रस्तुत 01-X-16

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 31.08.16 जो राजस्व प्रकरण क्र.0/अ 74/15–16 को माननीय नायब तहसीलदार महोदय तहसील बहरी द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त विवरण

गैरनिगरानीकर्ता ग्राम सैरपुर तह0 बहरी जिला सीधी की आराजी क्र0 815 कुल रकवा 0.050 हे0 के सीमा चिन्ह चिन्हांकित हेतु माननीय तहसीलदार तहसील बहरी के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, तहसीलदार बहरी द्वारा रा.नि.मं. से प्रतिवेदन मंगाया गया, रा.नि.मं. कुबरी द्वारा गैरनिगरानीकर्ता से मिलीभगत कर स्थल पर न जाकर गैरनिगरानीकर्ता के घर में बैठकर स्थल पंचनामा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जिसको आधार मानकर माननीय नायब तहसीलदार महोदय बहरी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों व तथ्यों का उचित परिशीलन न करते हुए

(218)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक R–5443-II/16 जिला–सीधी

सूर्यभान वगैरः/ सोमदत्त गुप्ता

(1)	(2)	(3)
19-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील बहरी, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 0/अ–74/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	